यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी, गोपेश्वर, चमोली द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, गोपेश्वर, चमोली के माह नवम्बर-2014 से मई-2017 के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री रवि शंकर, स.ले.प.अ. एवं श्री एस.एस. राना एवं श्री विजय कुमार, व.ले.प. द्वारा दिनांक 09.06.2017 से 21.06.2017 तक श्री एस.के. जौहरी लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1). परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नवीन चन्द्र शंखघर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 12.11.2014 से 22.11.2014 तक श्री डी.एन. मिश्रा, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 11/2012 से 10/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 11/2014 से 05/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2). (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः आई.सी.डी.एस.के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 06 विशिष्ट सेवायें समन्वित रूप में लाभार्थियों को प्रदान की जाती है- (1) पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा (2) स्वास्थ्य परीक्षण (3) आँगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण (4) प्रतिरक्षा टीकाकरण (5) नंदा देवी कन्या योजना (कन्याधन) का संचालन (6) अपदाग्रस्त आँगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण/पुननिर्माण एवं अनुरक्षण

इकाई द्वारा संचालित योजनायें

(1) समेकित बाल विकास सेवायें
(2) अनुपूरक पोषाहार
(3) नन्दा देवी कन्या योजना
(4) मुख्यमंत्री वृद्धा महिला पोषण योजना

} गोपेश्वर (चमोली) का पूरा क्षेत्रफल

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	0	0	143.49	138.86	1309.03	1188.76	-	124.90
2015-16	0	0	40.77	33.33	224.98	224.31	-	8.11
2016-17	0	0	35.11	27.10	487.49	487.17	-	8.32

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रू. लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	सबला योजना	0	34.20	34.20	0
2015-16	-	0	0	0	0
2016-17	बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं	0	7.28	0.91	6.37
	वी.सी.एफ.एस. योजना	0	18.90	0	18.90

(ii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ग्राहक विभाग से राशि प्राप्त करता है तथा 'ए' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1. सचिव 2. निदेशक 3. डी.पी.ओ. 4. सी.डी.पी.ओ.

(iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में जिला कार्यक्रम अधिकारी, गोपेश्वर, चमोली को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण जिला कार्यक्रम अधिकारी, गोपेश्वर, चमोली की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2015 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया I नन्दा देवी कन्या धन योजना, आई.सी.डी.एस. प्रशिक्षण, आँगनबाड़ी भवनों का निर्माण, THR/Cooked Food, मुख्यमंत्री वृद्ध महिला योजना

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 18 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(अ)

प्रस्तर-1- भुगतान देयक प्रस्तुत न किये जाने के बावजूद रू. 11,67,780/- का संदिग्ध भुगतान।

सामान्यः किसी भी सेवा का भुगतान उस सेवा का भुगता देय (जिसमें सेवा संबधी विवरम जैसे सेवा का प्रकार, अवधि, स्वीकृत दर आदि अंकित रहता है। प्रस्तुत किये जाने पर ही किया जाता है। कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी चमोली, (गोपेश्वर के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि आई.सी.डी.एस. प्रशिक्षण मद के अंतर्गत निदेशालय द्वारा इकाई को वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में कुल रू. 31,14,240/- की धनराशि उपलब्ध कराई गयी थी जिसमें से इकाई द्वारा रू. 30,50,500/- की धनराशि का उपयोग करते हुये शेष धनराशि का समर्पण शासन को कर दिया गया। इकाई द्वारा इस धनराशि से आँगनबाड़ी प्रशिक्षण संस्थान ग्वालदम द्वारा प्रस्तुत बिलों का भुगतान किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रशिक्षण केन्द्र ग्वालदम, द्वारा प्रस्तुत रू. 18,82,720 के बिलों के सापेक्ष इकाई द्वारा रू. 30,50,500/- की धनराशि का भुगतान किया गया तथा इस अन्तर (रू. 11,67,780/-) की धनराशि के बिल कार्यालय में उपलब्ध नहीं थे। लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध में इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि उपरोक्त धनराशि के बिलों का भुगतान भारत सरकार द्वारा निर्देशित दरों पर किया गया जिनको प्रशिक्षण केन्द्र ग्वालदम से प्राप्त कर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त बिल इकाई की लेखापरीक्षा समाप्ति तक लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

इकाई के उत्तर में स्वतः स्पष्ट है कि उक्त धनराशि का भुगतान, बिना भुगतान देयक प्राप्त किये प्रशिक्षण केन्द्र ग्वालदम को किया गया साथ ही इस संबंध में भारत सरकार के दिशा निर्देशों की प्रति भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गयी। इस प्रकार प्रशिक्षण केन्द्र ग्वालदम को रू. 11,67,780/- की धनराशि का संदिग्ध भुगतान किया गया जो एक गंभीर वित्तीय अनियमतिता थी।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- उच्चाधिकारियों (निदेशालय) की स्वीकृति प्राप्त किये बिना पूर्व चयनित स्थल पर भवन निर्माण कार्य हेतु रू. 154.50 लाख की धनराशि का व्यावर्तन।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्रानुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 के भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नवीन आँगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण तथा 113 पुराने आँगनबाडी केन्द्रों के भवनों के उचचीकरण हेतु धनराशि अवमुक्त करते हुये व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी। इस क्रय में चमोली जनपद में 43 आँगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण एवं 8 पूर्व भवनों के उच्चीकरण का कार्य किया जाना था। इस हेतु निदेशालय द्वारा रू. 201.50 लाख की धनराशि स्वीकृत कर जनपद को प्रदान की गयी। निदेशालय द्वारा जारी धनावंटन प्रपत्र में स्पष्ट रूप से यह उल्लेखित किया गया था कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय जिस प्रयोजन हेतु जारी किया जा रहा है। उसी प्रयोजन हेतु निदेशालय, द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार व्यय किया जायेगा। अन्य प्रयोजन हेतु धनराशि किसी भी दशा में व्यय नहीं की जायेगी। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, चमोली (गोपेश्वर) की नमूना जांच में पाया गया कि जिला कार्यक्रम अधिकारी चमोली द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण हेतु 43 स्थानों का चयन कर इसकी सूचना निदेशक आई.सी.डी.एस. को प्रेषित की गयी परन्तु बाद में पूर्व चयनित 43 स्थानों में से 42 भिन्न स्थानों पर आँगनबाड़ी केन्द्रो का निर्माण किये जाने हेतु धनराशि निर्गत की गयी एवं इस स्थान परिवर्तन के संबंध में आई.सी.डी.एस. से कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी। उल्लेखनीय है कि इन 42 भिन्न स्थानों पर आँगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु कुल रू. 154.50 लाख की धनराशि पूर्व चयनित स्थानों हेतु निर्गत धनराशि के व्यावर्तित कर व्यय की गयी।

लेखापरीक्षक द्वारा इस संबंध में इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि निदेशालय को सूचना दी गयी थी परन्तु इस संबंध में कोई पत्र आदि प्राप्त नहीं हुआ तथा निदेशालय से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु पत्र लिखा जा रहा है। इकाई के उत्तर में स्पष्ट है कि निदेशालय द्वारा स्थान परिवर्तन के संबंध में कोई स्वीकृति नहीं दी गयी तथा बिना इस स्वीकृति के रू. 154.50 लाख की धनराशि व्यावर्तित कर व्यय की गयी।

अतः बिना निदेशालय की स्वीकृति के रू. 154.50 लाख की धनराशि का व्यावर्तन कर दूसरे स्थान पर प्रयोग किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- विभागीय लापरवाही के कारण स्वीकृत दरों से अधिक दरों पर भुगतान किये जाने के फलस्वरूप रू. 60,276.00 की शासकीय हानि।

जिला कार्यक्रम अधिकारी, गोपेश्वर (चमोली) द्वारा जनपद चमोली के अंतर्गत संचालित 09 बाल विकास परियोजनाओं के आँगनबाड़ी केन्द्रों में अवसंरचना सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आई.सी.डी.एस. योजना के तहत मशीन एवं साज सज्जा तथा अन्य व्यय के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में विभिन्न सामग्रियों का क्रय किया गया था जिसके लिए इकाई द्वारा निविदा आमंत्रित करते हुए क्रय समिति द्वारा दिनांक 19.06.2015 को 05 निविदादाताओं की दरें न्यूनतम दरों के आधार पर विभिन्न सामग्रियों की आपूर्तियों हेतु स्वीकृत की गयी थी।

इकाई के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि कुछ सामग्रियों (सूची संलग्न) के क्रय पर इकाई द्वारा आपूर्तिकर्ताओं/फर्मों को क्रय समिति द्वारा स्वीकृत दरों से अधिक की दरों पर भुगतान किये जाने के कारण रू. 60,276.00 का अधिक भुगतान किया गया था जिसके फलस्वरूप रू. 60,276.00 की शासकीय हानि हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि प्रपत्रों की जांच कर फर्मों से वसूली की कार्रवाई की जायेगी।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है। अतः रू. 60276.00 की शासकीय हानि का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

स्वीकृत दरों के सापेक्ष अधिक दरों से भुगतानित सामग्रियों की सूची

क्र.सं.	सामग्री का नाम	आपूर्ति बिल सं.	स्वीकृत दर	भुगतानित दर	अन्तर	मात्रा	अधिक भुगतान
1.	प्रेशर कुकर 3L	47	रू. 1200/- प्रति	रू. 1350/- प्रति	रू. 150/- प्रति	295	44250/-
2.	स्टील परात	81	रू. 599/- प्रति	रू. 650/- प्रति	रू. 51/- प्रति	63	3213/-
3.	-तदैव-	82	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	63	3213/-
4.	-तदैव-	130	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	74	3774/-
5.	-तदैव-	131	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	46	2346/-
6.	-तदैव-	132	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	15	765/-
7.	फूल झाड़ू	130	रू. 95/- प्रति	रू. 98/- प्रति	रू. 03/- प्रति	796	2388/-
8.	-तदैव-	126	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	19	57/-
9.	-तदैव-	132	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	90	270/-
				कुल योग			**60276/-**

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-3- रू. 145.78 लाख की धनराशि के उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना।

सामान्यः विभाग द्वारा कार्यदायी इकाईयों को योजनाओं के संचालन हेतु अवमुक्त की गई धनराशियों के व्यय होते ही उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने चाहिए।

जिला कार्यक्रम अधिकारी, गोपेश्वर (चमोली) के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि माननीय मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना के संचालन हेतु इकाई के वर्ष 2015-16 में रू. 1,16,56,650.00 तथा वर्ष 2016-17 में रू. 1,21,40,000.00 की धनराशियों आवंटित की गयी थी। इकाई द्वारा लेखापरीक्षा तिथि (जून 2017) तक वर्ष 2016-17 तक आवंटित धनराशि के सापेक्ष मात्र रू. 92,18,196.00 की धनराशि के ही उपयोग प्रमाण पत्र अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त किये गये थे तथा वर्ष 2015-16 में आवंटित धनराशि के सापेक्ष की भी उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि शीघ्र ही उपयोग प्रमाण पत्र कर लिये जायेगें।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है। अतः रू. 145.78 लाख के उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-4- ब्याज की धनराशि रू. 79411.00 का शासकीय खातें में जमा न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश सं. यू.ओ.18/XXVII(6) टी.सी.ए. 934-2014 दिनांक 21.04.2017 तथा महिला सशक्तिकरम एवं बाल विकास अनुभाग के आदेश सं. 610/XVII(4)/2017-2(8)2017 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रशासनिक विभागों द्वारा परियोजनाओं हेतु धनराशि बैंक खाते में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है और उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा न करते हुए प्रयोग में लिया जा रहा है। यह एक वित्तीय अनियमितता है तथा निर्देशित किया है कि जितने भी बैंक खातें हैं उन पर अर्जित ब्याज की पुष्टि करते हुए तत्काल राज्य सरकार के सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा कराया जाय।

जिला कार्यक्रम अधिकारी, गोपेश्वर (चमोली) के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि आई.सी.डी.एस. योजनाओं के संचालन हेतु इकाई द्वारा विभिन्न बैंक खातें में रखी गई धनराशियों पर दिनांक 25.03.2017 को कुल रू. 79411.00 का ब्याज अर्जित कियागया था जिसे उक्त शासनादेश के अनुपालन में तत्काल शासकीय खाते में जमा किया जाना अपेक्षित था परन्तु इकाई द्वारा लेखापरीक्षा तिथि (जून 2017) तक भी प्राप्त ब्याज की धनराशि शासकीय खातें में जमा नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि ब्याज की धनराशि को यथाशीघ्र सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा कराया जायेगा।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है। अतः रू. 79411.00 की अर्जित ब्याज की धनराशि को शासकीय खाते में जमा न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-5- नवीन आँगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण एवं पुराने आँगनबाड़ी केन्द्र भवनों के उच्चीकरण कार्य को अपूर्ण रखते हुये रू. 44.30 लाख की धनराशि को अवरूद्ध रखा जाना।

जिला कार्यक्रम अधिकारी, गोपेश्वर (चमोली) के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में जनपद चमोली में 43 नवीन आँगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण एवं 8 भवनों के उच्चीकरण कार्य हेतु रू. 201.50 लाख की धनराशि अवमकुत् की गयी थी (फरवरी 2015)। समेकित बाल विकास निदेशालय द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि वर्ष 2014-15 में उक्त धनराशि का उपयोग कर निर्माण कार्य पूर्ण कर लिये जाये। परन्तु निर्माण कार्य को उसी वित्तीय वर्ष में पूरा न किये जाने का संभावना को देखते हुये जिलाधिकारी चमोली के आदेश से तत्समय इस धनराशि को PLA में रखा गया। बाद में इस धनराशि के एक भाग (रू. 157.20 लाख) को निर्माण हेतु क्षेत्र पंचायतों को वितरित किया गया जबकि अवशेष धनराशि 44.30 लाख रू. को लेखापरीक्षा तिथि (जून 2017) तक PLA में अवरूद्ध रखा गया था। उक्त निर्माण कार्यों की समीक्षा में पाया गया कि लेखापरीक्षा तिथि (जून 2017) तक 43 आँगनबाड़ी केन्द्र भवनों में से मात्र 7 भवनों का निर्माण कार्य ही पूर्ण किया गया था जबकि 8 भवनों के उच्चीकरण में से भाग 2 भवनों के उच्चीकरण का कार्य ही पूर्ण किया गया था। इस प्रकार 43 आँगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण कार्य के सापेक्ष 36 भवनों का निर्माण कार्य तथा 8 केन्द्र भवनों के उच्चीकरण कार्य के सापेक्ष 6 भवनों का निर्माण कार्य धनराशि अवमुक्त करने के दो वर्षों की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात भी अपूर्ण था।

लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध में इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा तथा PLA खातें में रखी गयी धनराशि को शीघ्र ही निर्माण कार्यों हेतु जारी किया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जो निर्माण कार्य वर्ष 2014-15 में पूर्ण किये जाने थे वे निदेशालय द्वारा धनराशि अवमुक्त करने के लगभग 27 माह की अवधि के बाद भी अपूर्ण थे। तथा रू. 44.30 लाख की धनराशि को निर्माण कार्यों में उपयोग न करते हुये PLA में अवरूद्ध रखा गया था।

इस प्रकार कार्य को समय से पूर्ण न किये जाने के साथ रू. 44.30 लाख की धनराशि को अवरूद्ध रखे जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-6- रू. 17.70 लाख की धनराशि इकाई की उदासीनता के कारण अवरूद्ध रहना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं. 2664/XVII(4)/2013/02(10)2012, दिनांक 7 नवम्बर 2013, एवं वित्त नियंत्रक, निदेशालय आई.सी.डी.एस. के पत्र संख्या सी-4132/बजट/2570/2013, दिनांक 26 फरवरी, 2015 के द्वारा आपदाग्रस्त जनपदों में पूर्ण/आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त आँगनबाड़ी भवनों के पुनर्निर्माण एवं नवीन आँगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण हेतु रू. 94.50 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी। प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्र को स्वीकृत धनरासि की 50% धनराशि इस कार्य आदेश एवं शर्तों के अवमुक्त की गयी थी, कि आँगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण दो माह में पूरा करना अनिवार्य होगा तथा शेष 50% धनराशि (अन्तिम किश्त) कार्य पूर्म होने के बाद उपभोग प्रमाण पत्र, योजना के फोटोग्राफ एम.बी. एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के बाद देय होगी।

आँगनबाड़ी के निर्माण संबंधी अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि कुल आँगनबाड़ी के आंशिक/पूर्ण निर्माण हेतु (सूची संलग्न) कुल स्वीकृत धनराशि रू. 94.50 के सापेक्ष रू. 17.70 लाख की धनराशि इकी के पास 24 माह से 10 माह की अवधि व्यतीत होने के पश्चात भी शेष थी, जबकि स धनराशि को आपदाग्रस्त आंशिक/पूर्ण क्षतिग्रस्त निर्माण कार्यों पर स्वीकृति की तिथि से 2 माह के भीतक व्यय किया गया था। आपदाग्रस्त आंशिक/पूर्ण क्षतिग्रस्त निर्माण कार्यों को निर्धारित अवधि में पूर्ण न करने की दशा में लाभार्थी इनके लाभ से वंचित थे तथा इतनी लम्बी अवधि में भी आपदाग्रस्त निर्माण कार्यों का पूरा न होना इकाई की उदासीनता का भी द्योतठ है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया कि भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण उक्त धनराशि अवशेष है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आपदाग्रस्त निर्माण कार्यों को 2 माह में पूरा होना था, जिससे कि लाभार्थियों को निर्माण कार्यों का लाभ मिल सकें, जो कि निर्माण कार्यों के पूरा न होने के कारण उनकों नहीं मिल पा रहा था एवं लाभार्थी इसके लाभ से वंचित थे। साथ ही काई की उदासीनता के फलस्वरूप रू. 17.70 लाख की धनराशि भी इकाई के पास अवशेष थी।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-7- विभागीय उदासीनता के कारण नन्दा देवी कन्या धन योजना के अंतर्गत कुल 4305 लाभार्थियों को रू. 15000/- प्रति की दर से रू. 645.75 लाख का भुगतान किया जाना लंबित रहना।

राज्य सहायतित नन्दा देवी कन्या योजना का लाभ राज्य उन समस्त निवासियों, जिनके परिवार में 01 जनवरी 2009 के बाद दो जीवित बालिकाओं के जन्म लिया हो तथा वे इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की समस्त शर्ते पूरी करते हो चाहे इसके पूर्व उनकी अन्य जीवित संताने भी हो, को दिया जाना है। योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता के रूप में 15000/- की धनराशि तीन किश्तों में प्रदान की जायेगी। प्रथम किश्त के रूप में बालिका के अभिभावक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर अधिकतम 1 माह के अन्दर 5000/- की धनराशि A/C Payee चैक के माध्यम से कन्या के अभिभावक को प्रदान की जायेगी। शेष रूप 10,000/- की धनराशि की F.D बैंक में कन्या तथा उसके माता-पिता के नाम से संयुक्त रूप से कराई जायेगी। द्वितीय किश्त के रूप में कन्या के माता-पिता के खातें में E-Transfer के माध्यम से रू. 5000/- की धनराशि हस्तांतरित की जायेगी। शेष धनराशि को पुनः 8 वर्षों की अवधि कि लिये F.D कर दी जायेगी जिसके से तृतीय वं अंतिम किश्त के रूप में ब्याज सहित शेष धनराशि लाभार्थी बालिका को उसकी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने हाईस्कूल में अध्ययनरत् होने तथा अविवाहित होने की दशा में प्रदान की जायेगी।

योजना की लेखापरीक्षा में पाया गया कि जनपद में माह अक्टूबर 2015 तक इस योजना के अंतर्गत वांछित लाभार्थियों की संख्या 4962 थी, जिसमें से मात्र 760 लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया गया, इस प्रकार 4202 लाभार्थी इस योजना के लाभ से वंचित थे। लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध में इंगित कियेजाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि लेखापरीक्षा तिथि तक पुराने 4202 लाभार्थियों को सम्मिलित कर कुल 4305 लाभार्थी इस योजना के लाभ से वंचित है। जिस हेतु निदेशालय को रू. 6,45,75,000/- के बजट की माँग की गयी है। इकाई के उत्तर में स्पष्ट है कि लेखापरीक्षा तिथइ (जून 2017) तक विगत वर्षों के वंचित 4202 लाभार्थियों को मिलाकर कुल 4305 लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाना शेष है।

अतः विभागीय उदासीनता के कारण 4305 लाभार्थियों को रू. 15000/- प्रति की दर से कुल रू. 645.75 लाख का भुगतान लंबित रखे जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-8- रू. 5,76,000/- का अतिरिक्त व्यय।

वित्तीय हस्त पुस्तिका के भाग-V के परिशिष्ट-XIX (D) के अनुसार निष्प्रयोज्य वाहनों की मूल्यांकन रिपोर्ट के पश्चात नीलामी की कार्यवाही अविलम्ब की जानी चाहिये।

इकी के निष्प्रयोज्य वाहन संबंधी अभिलेखों कीजांच में पाया गया कि वाहन सं. UA-07-E-3574, दिनांक 21.12.2008 में दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण अनुपयोगी हो गया था, इकाई द्वारा विभाग को वाहन की मरम्मत हेतु आगणन रू. 85000/-, जो इरफान हिस्दुस्तान मोटर वर्कशाप, चमोली द्वारा तैयार किया गया था, प्रस्तुत किया गया, परन्तु सम्प्रेक्षा तिथि तक वाहन की मरम्मत हेतु उक्त व्यय नहीं किया गया था, तथा वाहन जीर्णक्षीर्ण स्थिति में था, दिनांक 12.02.2009 को परिवहन विभाग की निरीक्षण आख्या में वाहन सं. UA-07E-3574 का अनियमित विक्रय मूल्य रू. 35000/- निर्धारित किया गया था, परन्तु इकाई सात वर्ष पश्चात भी नीलामी की कार्यवाही नहीं की गई, जिससे वाहन जीर्ण-क्षीर्ण अवस्था में पहुँच गया तथा उसका आंकलित विक्रय मूल्य प्राप्त होना संदिग्ध है,

इसके विपरीत निदेशालय के पत्रांक-सी-390/आई.जी.डी.एस./वाहन/212/2015-16 दिनांक-31.03.2014 के अनुसार इकाई द्वारा एक वाहन किराये पर लिये जाने हेतु प्रतिमाह रू. 18000/- अथवा 2.15 लाख प्रतिवर्ष से दिनांक 01.10.2014 से 30.05.2017 तक 32 माह तक कुल रू. 5,76,000/- व्यय कियेजाने हेतु स्वीकृति प्राप्त की गई। इरफान हिन्दुस्तान मोटर वर्कशाप, चमोली के आगणन के अनुसार यदि वाहन मरम्मत पर रू. 85000/- का व्यय किया जाता तो वाहन किराये पर व्यय रू. 5,76,000/- की फिजूल खर्ची अथवा अतिरिक्त व्य से बचा जा सकता था, तथा सरकारी वाहन सं. UA07 E-3574 कार्यालय प्रयोग में होता।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा किर निदेशालय को वाहन मरम्मत रू. 85000/- की स्वीकृति हेतु लिखा गया था परन्तु कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई तथा वाहन के मूल प्रपत्र उपलब्ध न होने के कारण नीलामी की कार्यवाही भी नहीं की गई, वाहन किराये पर लिये जाने के संबंध में इकाई ने कहा कि परियोजनाओं के निरीक्षण के लिए वाहन अकन्त आवश्यक है इस बात को ध्यान में रखते हुए निदेशालय से वाहन हायर करने की स्वीकृति प्राप्त की गई।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि परियोजनाओं के निरीक्षण हेतु यदि समय हो सरकारी वाहन पर रू. 85000/- के व्यय की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाती है तो वाहन किराये पर व्यय रू. 5,76,000/- एवं नीलामी से संदिग्ध हानि रू. 35000/- से बचा जा सकता था।

अतः विभागीय लापरवाही के कारण रू. 5,76,000/- का अतिरिक्त व्यय एवं रू. 35000/- की संदिग्ध हानि का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-**III**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

प्रतिवेदन संख्या	वर्ष	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**
122	2014-15	-	01,02	-
79	2012-13	-	01,02,03	-
102	2007-08	-	01	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई द्वारा प्रस्तरों की अनुपालन आख्या तैयार नहीं की गयी थी,जिनकों निदेशालय के माध्यम से शीघ्र महालेखाकार कार्यालय को भेजना बताया गया।				

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-**V**

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी, गोपेश्वर, चमोली तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेखः शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री देव सिंह	डी.पी.ओ.	11/2014 से 05.01.2015 तक
2.	श्री संजय गौरव	डी.पी.ओ.	06.01.2015 से 03.01.2017 तक
3.	श्री देव सिंह	डी.पी.ओ.	04.01.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति जिला कार्यक्रम अधिकारी, गोपेश्वर, चमोली को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, सी-1/105, वैभव पैलेश, इंदिरा नगर, देहरादून, 248006" को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)